भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3465

उत्तर देने की तारीख - 11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित युवा

3465. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों से कितने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने प्रतिशत युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और कितने प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को ऋण सुविधा प्राप्त हुई है;

(घ) उपरोक्त जिलों में इन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन पर वर्ष-वार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बालोतरा जिले के पचपदरा में निर्माणाधीन एचपीसीएल रिफाइनरी के निकट एक समर्पित कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रही है;

(च) यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रदान करने के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के जरिए उनके कौशलीन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के लिए वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है।

दिनांक 30.06.2025 तक पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2025 तक बाड़मेर जिले में 28,319 और जैसलमेर जिले में 9954 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है। राजस्थान के बालोतरा जिले में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी को प्रशिक्षित/प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ग) पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू पीएमकेवीवाई योजना के पहले तीन संस्करणों, यानी पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजनों पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, अपने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी टूल्स में भी यह अवसर प्रदान किया जाता हैं।

पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों के दौरान, बाड़मेर जिले में 4,586 उम्मीदवारों को एसटीटी में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 43.5% (1,997) को नौकरी मिली, जबकि जैसलमेर जिले में 3,299 उम्मीदवारों को एसटीटी में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 64.7% (2,136) उम्मीदवारों को नौकरी मिली।

पीएमकेवीवाई योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को ऋण सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) से (छ) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, जो 2022 से लागू योजना का नवीनतम संस्करण है, ऑनलाइन पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध करने के लिए मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अंतर्गत, योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और कामकाज के लिए अलग से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है । इसके बजाय, प्रशिक्षण लागत का भुगतान योजना के दिशानिर्देशों और सामान्य मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

अनुबंध

दिनांक 11.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3465 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30.06.2025 तक पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,501
आंध्र प्रदेश	5,27,676
अरुणाचल प्रदेश	98,157
असम	8,39,371
बिहार	7,59,846
चंडीगढ़	28,009
छत्तीसगढ	2,04,474
दिल्ली	5,26,790
गोवा	10,484
गुजरात	4,71,538
हरियाणा	7,62,041
हिमाचल प्रदेश	1,76,021
जम्मू और कश्मीर	4,29,204
झारखंड	3,14,048
कर्नाटक	6,05,147
केरल	2,74,550
लद्दाख	4,076
लक्षद्वीप	390
मध्य प्रदेश	12,13,250
महाराष्ट्र	13,31,385
मणिपुर	1,14,910
मेघालय	58,706
मिजोरम	44,147
नागालैंड	54,013
ओडिशा	6,02,124
पुदुचेरी	35,491
पंजाब	5,59,406
राजस्थान	14,06,943
सिक्किम	19,479
तमिलनाडु	8,85,134

तेलंगाना	4,64,107
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,842
त्रिपुरा	1,59,920
उत्तर प्रदेश	25,06,438
उत्तराखंड	2,51,815
पश्चिम बंगाल	6,50,830
कुल	1,64,07,263

*****